

व्यापार योजना

आय सृजन गतिविधि - सिलाई व कटाई

स्वयं सहायता समूह सिलाई व कटाई - फावला-III



स्वयं सहायता समूह का नाम	::	फावला- III
ग्राम वन विकास समिति	::	फावला
वन परिक्षेत्र	::	थरोच
वन मण्डल	::	चौपाल

के तहत तैयार:



हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका के सुधार के लिए परियोजना
(जाइका सहायता प्राप्त)



सामग्री तालिका

क्रमांक.	विवरण	पृष्ठ/
1.	पृष्ठभूमि	3
2.	स्वयं सहायता समूह का विवरण	3
3.	लाभार्थियों का विवरण	4
4.	गांव का भौगोलिक विवरण	4
5.	प्रबंधन	5
6.	ग्राहक	5
7.	केंद्र का लक्ष्य	5
8.	इस व्यवसाय को शुरू करने का कारण	5
9.	SWOT विश्लेषण	5
10.	व्यापार योजना के विभिन्न चरण	6
11.	ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कदम	6
12.	सिलाई व कटाई व्यवसाय का विपणन विश्लेषण	6
13.	व्यावसायिक लक्ष्य	6
14.	वित्तीय पूर्वानुमान / अनुमान	6
15.	उद्यम हेतु अनुमानित लागत	7
16.	आय अनुमान:	8
17.	आय और व्यय का विश्लेषण (मासिक):	8
18.	समूह में निधि प्रवाह:	8
19.	धन और खरीद के स्रोत:	9
20.	प्रशिक्षण/ क्षमता निर्माण / कौशल उन्नयन	9
21.	ऋण चुकौती अनुसूची	9
22.	निगरानी विधि	10
23.	स्वयं सहायता समूह के नियम	10-11
24.	समूह के सदस्यों की फ़ोटो	11

1. पृष्ठभूमि

स्वयं सहायता समूह फावला-III द्वारा सिलाई व कटाई ग्राम फावला डाकघर इडा तहसील नेरवा जिला शिमला में स्थित है। वहाँ फावला-III में कुल 55 परिवार हैं और ग्राम वन विकास समिति फावला-III में 3 गांव हैं जिनकी आवश्यकता यह सिलाई व कटाई सेंटर पूरा करेगा। यह केंद्र उत्कृष्ट सेवा प्रदान करेगा और ग्राहकों को मार्गदर्शन करेगा कि उन्हें उत्पाद प्रदान करने के लिए सबसे अच्छा क्या है जो उनके लिए संतुष्टि और आराम के उच्चतम स्तर को चिह्नित करता है।

2. स्वयं सहायता समूह का विवरण

2.1	स्वयं सहायता समूह का नाम	::	स्वयं सहायता समूह फावला- III- सिलाई व कटाई
2.2	ग्राम वन विकास समिति	::	फावला
2.3	वन परिक्षेत्र	::	थरोच
2.4	वन मण्डल	::	चौपाल
2.5	गाँव	::	फावला
2.6	खंड	::	नेवल
2.7	जिला	::	शिमला
2.8	स्वयं सहायता समूह में सदस्यों की कुल संख्या	::	08 - महिलाएं
2.9	गठन की तिथि	::	22-09-2017
2.10	बैंक खाता संख्या	::	89551300000127 IFSC Code -PUNB0HPGB04
2.11	बैंक विवरण	::	ग्रामीण बैंक नेरवा
2.12	स्वयं सहायता समूह / सामान्य व्या रुचि समूह मासिक बचत	::	100
2.13	कुल बचत		6500 /-
2.14	कुल अंतर-ऋण		-
2.15	नकद ऋण सीमा		--
2.16	पुनर्भुगतान स्थिति		--

3. लाभार्थियों का विवरण:

क्रमांक	नाम	पति का नाम	उम्र	शिक्षा	वर्ग	आय स्रोत	पता	संपर्क नंबर
1.	संगीता (अध्यक्ष)	यशपाल	35	10+2	सामान्य	कृषि	फावला	9805351910
2.	कल्पना (उपाध्यक्ष)	सुरेश	31	10+2	सामान्य	कृषि	फावला	9418310681
3.	संतोषी (सचिव)	श्याम लाल	34	10+2	सामान्य	कृषि	फावला	7807579779
4.	दीपिका (कोषाध्यक्ष)	कमलेश	34	10+2	सामान्य	कृषि	फावला	9459225124
5.	गीता (सदस्य)	जगत राम	35	10+2	सामान्य	कृषि	फावला	-
6.	शीला देवी (सदस्य)	मोती सिंह	55	-	सामान्य	कृषि	फावला	-
7.	सरला देवी (सदस्य)	कान्हा सिंह	35	5th	सामान्य	कृषि	फावला	9816819464
	रितिका (सदस्य)	अजय	29	10+2	सामान्य	कृषि	फावला	-

4. गांव का भौगोलिक विवरण:

3.1	जिला मुख्यालय से दूरी	::	147 किमी
3.2	मेन रोड से दूरी	::	1 किमी
3.3	स्थानीय बाजार का नाम और दूरी	::	नेरवा, 22 किमी
3.4	मुख्य बाजार का नाम और दूरी	::	नेरवा, चौपाल, 22 किमी और 47 किमी
3.5	मुख्य शहर का नाम और दूरी	::	शिमला 147 किमी
3.6	उन स्थानों का नाम जहां उत्पाद बेचा जाएगा	::	नेरवा, चौपाल

5. प्रबंधन

स्वयं सहायता समूह फावला- III द्वारा सिलाई व कटाई में 08 महिला सदस्य हैं और उनके पास व्यक्तिगत सिलाई मशीनें होंगी और वे अपनी योजना को निष्पादित करने और सामूहिक तरीके से काम करने के लिए गांव में एक कमरा किराए पर लेंगे। केंद्र में वास्तविक कार्य शुरू होने से पहले सभी सदस्यों को कुछ पेशेवर प्रशिक्षकों के तहत काटने और सिलाई में प्रशिक्षण देने के लिए एक अल्पकालिक पाठ्यक्रम प्रदान किया जाएगा।

6. ग्राहक

इस केंद्र के प्राथमिक ग्राहक गांव फावला की महिलाएं और आसपास के कुछ कपड़ा व्यापारी होंगे। लेकिन बाद में इस व्यवसाय को पास के छोटे कस्बों में बढ़ाया जा सकता है।

7. केंद्र का लक्ष्य

केंद्र का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से फावला गांव के निवासियों और आस-पास के गांवों के अन्य सभी निवासियों को अद्वितीय आधुनिक और उच्च श्रेणी की सिलाई सेवाएं प्रदान करना है। यह केंद्र आने वाले वर्षों में अपने संचालन के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण कार्य के साथ सबसे प्रसिद्ध स्टिचिंग केंद्र बनने के लिए तैयार है।

8. इस व्यवसाय को शुरू करने का कारण

स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के पूर्व अनुभव के कारण जो पहले से ही यहाँ और वहाँ समान कार्य कर रहे हैं, इस आय सृजन गतिविधि का चयन किया गया है और इसलिए स्वयं सहायता समूह इस व्यवसाय को शुरू कर रहा है। यह विभिन्न सदस्यों के कौशल को संयोजित करने और अधिक आजीविका अर्जित करने के लिए उनकी गतिविधि को बढ़ाने का एक प्रयास है।

9. SWOT विश्लेषण

1) मज़बूती

- i) सभी सदस्य समान विचारधारा वाले हैं और सहायक दृष्टिकोण रखते हैं
- ii) कटिंग और टेलरिंग गतिविधि सरल है।

2) कमजोरी

- i) गतिविधि के लिए स्वयं सहायता समूह नया है
- ii) समूह कार्य में अनुभव की कमी

3) अवसर

- i) एक समूह में कार्य करने से उच्च उत्पादन में मदद मिल सकती है।
- ii) गतिविधि की अच्छी मांग
- iii. पूंजीगत लागत के 50 प्रतिशत तक परियोजना अंशदान का प्रावधान।



iv) प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन परियोजना द्वारा वहन किया जाएगा

4. आशंका

- i) कच्चे माल की कीमत में अचानक वृद्धि।
- ii) प्रतिस्पर्धी बाजार

10. व्यापार योजना के विभिन्न चरण

स्वयं सहायता समूह फावला- III, 08 सदस्यों को उनके उपकरणों के साथ एक केंद्रीय स्थान पर रखने के लिए एक विशाल कमरा किराए पर लेगा जो सभी सदस्यों के लिए आसानी से सुलभ होगा। परियोजना को शुरू करने के लिए वित्तीय प्रक्षेपण के साथ विस्तृत आवश्यकता इसके बाद शीर्षक-पूँजीगत लागत के तहत दी जाएगी:

11. ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कदम

है- केंद्र पारंपरिक, गैर-पारंपरिक फेंसी, दैनिक उपयोग के आधुनिक और स्टाइलिश कपड़े की सिलाई सुनिश्चित करेगा

- महिलाओं व बच्चों के लिए फेंसी व साधारण कपड़े सिलने पर जोर रहेगा
- केंद्र सभी प्रकार के वस्त्रों की मरम्मत करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि कोई ग्राहक असन्तुष्ट न जाए।
- स्वयं सहायता समूह, बाद के चरण में, रेडीमेड कपड़ों की बिक्री-खरीद में जाकर अपने व्यवसाय को बढ़ा सकता ।

12. सिलाई व कटाई व्यवसाय का विपणन विश्लेषण

यह सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो हमारे व्यवसाय की सफलता सुनिश्चित करेगा। कमांड क्षेत्र का विस्तृत विश्लेषण और बाजार सर्वेक्षण आवश्यक घटक है और यह हमें हमारे लक्षित ग्राहकों का अवलोकन देगा और समूह के सदस्य नवीनतम मांगों और रुझानों को जानेंगे।

13. व्यावसायिक लक्ष्य

यह स्वयं सहायता समूह फावला- III व्यापक रूप से क्षेत्र और आसपास के गांवों में सबसे अच्छा सिलाई केंद्र बनने का लक्ष्य रखेगा। हमारा लक्ष्य कारोबार को धीरे-धीरे बढ़ाना और अगले 4-5 वर्षों के भीतर इसे लाभ कमाने वाली इकाई में बदलना होगा।

14. वित्तीय पूर्वानुमान / अनुमान

व्यवसाय शुरू करने के लिए अंतिम बल्कि सबसे महत्वपूर्ण कदम व्यवसाय चलाने के लिए लागत निर्धारित करने के लिए एक वित्तीय योजना बनाना है और इसमें व्यावसायिक लाभ भी शामिल होना चाहिए जो स्वयं सहायता समूह संक्षेप में अर्जित करने जा रहा है, लागत लाभ विश्लेषण की आवश्यकता है



15. उद्यम हेतु अनुमानित लागत

A. पूजी लागत				
क्रमांक	विवरण	परिमाण	इकाई मूल्य	कुल राशि (रु.)
1	उपकरण पेडल के साथ सिलाई मशीन	06	7200	43200
2	सिलाई मशीन सरल	02	8000	8000
3	कमरे का कालीन	01	1500	1500
4	कैंची	08	500	4000
5	दर्जी का पैमाना	08	200	1600
6	मापने का टेप	08	50	400
7	इंटरलॉकिंग मशीन	01	6000	6000
8	हैंगर	02 set	300	600
9	अलमारी इनबिल्ट के साथ काउंटर टेबल	01	7500	7500
10	स्टूल	08	300	2400
11	लोहे का प्रेस	02	700	1400
12	अलमारी	01	5000	5000
13	कुर्सिया	04	500	2000
कुल पूंजी लागत (A) =				83600/-
B. पुनरावर्ती लागत				
क्रमांक	विवरण	परिमाण	मूल्य	कुल राशि (रु)
1	कमरे का किराया	1	1500	1500
2	मार्किंग सामग्री चाक आदि।	L/S	L/S	200
3	विभिन्न रंगों के सिलाई धागे	03 पैकेट	300	900
4	तेल लगाने वाले पिप्पेट	06	50	300
5.	बटन विभिन्न प्रकार के	1 बॉक्स	1000	1000
6.	बुकेरेम	20 मीटर	50	1000
7.	विविध व्यय (यानी बिजली के बिल, मशीनों की मरम्मत, आदि)	L/S	L/S	1000
कुल आवर्ती लागत (B)				5900/-

16. आय अनुमान:

आय सृजन गतिविधि की शुरुआत में, यह अनुमान लगाया जाता है कि प्रत्येक सदस्य एक दिन में सभी तरह से एक महिला सूट की सिलाई करेगा। साधारण सूट के लिए आज की स्थिति में सिलाई का शुल्क लगभग 300 प्रति सूट है। समूह के सदस्यों के अन्य घरेलू दायित्वों को ध्यान में रखते हुए समूह के 08 सदस्य औसतन एक महीने में 150 महिलाओं के सूट की सिलाई कर सकते हैं। इसलिए समूह का कुल उत्पादन अनुमानित $300 \times 150 = ₹ 45000/-$ मात्र है।

17. आय और व्यय का विश्लेषण (मासिक):

क्रमांक	विवरण	व्यय / माह (रुपये)	प्रति माह आय (रुपये)
1.	पूँजीगत लागत पर 10% मूल्यह्रास अर्थात् $83600/12 \times 10\% = 697$ रु।	697	
2.	कुल आवर्ती लागत	5900	
3.	कुल	6597	45000
4.	लाभ सीमा (45000-6555)	38403	
5.	शुद्ध लाभ का वितरण	<ul style="list-style-type: none">लाभ सभी समूह के सदस्यों के बीच समान रूप से वितरित किया जाएगा।लाभ के हिस्से का उपयोग आय सृजन गतिविधि में आगे निवेश के लिए किया जाएगा	

18. समूह में निधि प्रवाह:

क्रमांक	विवरण	कुल राशि (₹)	परियोजना योगदान	स्वयं सहायता समूह योगदान
1	कुल पूँजी लागत	83600	41800	41800
2	कुल आवर्ती लागत	5900	0	5900
3	प्रशिक्षण	30000	30000	
	कुल व्यय	119500	71800	47700

नोट- पूँजीगत लागत - कुल पूँजीगत लागत का 50% परियोजना द्वारा वहन किया जाएगा



- आवर्ती लागत - पूरी लागत स्वयं सहायता समूह द्वारा वहन की जाएगी।
- प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन-परियोजना द्वारा वहन की जाने वाली कुल लागत

19. धन और खरीद के स्रोत

परियोजना का समर्थन;	पूँजीगत लागत का 50% मशीनों की खरीद के लिए उपयोग किया जाएगा। एक लाख रुपये स्वयं सहायता समूह के बैंक खाते में रिवाल्विंग फंड के रूप में रखे जाएंगे। प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन लागत।	मशीनों की खरीद संबंधित संभागीय प्रबंधन इकाई/वन वृत्त समन्वय इकाई द्वारा समस्त औपचारिक औपचारिकताओं का पालन करते हुए की जायेगी।
स्वयं सहायता समूह का योगदान	पूँजीगत लागत का 50% स्वयं सहायता समूह द्वारा वहन किया जाएगा। आवर्ती लागत स्वयं सहायता समूह द्वारा वहन की जाएगी	

20. प्रशिक्षण/ क्षमता निर्माण / कौशल उन्नयन

- प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन लागत परियोजना द्वारा वहन की जाएगी।
- निम्नलिखित कुछ प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन प्रस्तावित/आवश्यक हैं:
- टीम वर्क
- गुणवत्ता नियंत्रण
- पैकेजिंग और मार्केटिंग
- वित्तीय प्रबंधन

21. ऋण चुकौती अनुसूची-

- यदि ऋण बैंक से लिया गया है तो यह नकद ऋण सीमा के रूप में होगा और नकद ऋण सीमा के लिए कोई पुनर्भुगतान अनुसूची नहीं है; हालांकि, सदस्यों से मासिक बचत और चुकौती रसीद नकद ऋण सीमा के माध्यम से भेजी जानी चाहिए।
- नकद ऋण सीमा में, स्वयं सहायता समूह के बकाया मूलधन का बैंकों को वर्ष में एक बार पूरा भुगतान किया जाना चाहिए। ब्याज राशि का भुगतान मासिक आधार पर किया जाना चाहिए।
- सावधि ऋणों में, चुकौती बैंकों में चुकौती अनुसूची के अनुसार की जानी चाहिए।

22. निगरानी विधि -

- ग्राम वन विकास समिति की सामाजिक लेखा परीक्षा समिति आय सृजन गतिविधि की प्रगति और प्रदर्शन की निगरानी करेगी और अनुमान के अनुसार इकाई के संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देगी।
- स्वयं सहायता समूह को प्रत्येक सदस्य की आय सृजन गतिविधि की प्रगति और प्रदर्शन की समीक्षा करनी चाहिए और प्रक्षेपण के अनुसार इकाई के संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देना चाहिए।

23. स्वयं सहायता समूह के नियम

- समूह का काम : सिलाई व कटाई ।
- समूह का पता : ग्राम फावला , डाकघर इडा, तहसील नेरवा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
- समूह के कुल सदस्य -08
- समूह में हर 100 के ऋण पर 2 रूपये ब्याज होगा ।
- समूह की मासिक बैठक हर माह की 5 तारीख को होगी ।
- समूह के सभी सदस्य हर माह की बचत की गई राशि को समूह में जमा करेंगे ।
- स्वयं सहायता समूह की बैठक में सभी सदस्य को शामिल होना पड़ेगा ।
- सहायता समूह का खाता ग्रामीण बैंक नेरवा ।
- समूह की बैठक में गैर हाजिर रहने के लिए प्रधान व सचिव को उचित कारण बताकर अनुमति लेनी होगी ।
- समूह में जो बचत की राशि जमा नहीं करवाते या तीन बैठकों तक समूह में गैर हाजिर रहते हैं, तो उस व्यक्ति को समूह से निकाल दिया जाएगा।
- समूह में जो व्यक्ति कारण बताए बगैर गैर हाजिर रहता है तो अगली बैठक उस व्यक्ति के घर में होगी जिसका खर्च उस व्यक्ति को खुद करना होगा। अगर दो सदस्य होंगे तो खर्च मिलकर देना होगा।
- स्वयं सहायता समूह के प्रधान व सचिव सर्वसम्मति से चुने जाएंगे।
- प्रधान व सचिव बैंक से लेन देन कर सकते हैं। यह पद एक वर्ष तक मान्य होगा।
- प्रधान सचिव या सदस्य समूह के विरुद्ध कोई काम नहीं करेगा। समूह की रकम का सदा सदुपयोग करेंगे।
- अगर सदस्य किसी कारणवश समूह को छोड़ना चाहता है, अगर इस व्यक्ति ने ऋण लिया है, तो समूह को वापस करना होगा तभी समूह को छोड़ सकती है, अन्यथा नहीं।

- ऋण का उद्देश्य रकम की चुकौती का समय ऋण की किश्त और ब्याज की दर बैठक में तय की जाएगी।
- आपातकालीन स्थिति के लिए प्रधान व सचिव के पास कम से कम 1000 की राशि होनी चाहिए।
- बड़े ऋण लेने वालों को एक सप्ताह पहले की सूचना देनी होगी।
- ऋण जरूरत के समय सभी सदस्यों को मिलना चाहिए।
- अगर सदस्य बिना कारण से समूह को छोड़ना चाहता है तो उस सदस्य की जमा राशि समूह में बांटी जाएगी।
- समूह को अपनी मासिक रिपोर्ट प्रतिमाह तकनीकी क्षेत्रीय इकाई (Field Technical Unit) के कार्यालय में देनी होगी।

24. समूह के सदस्यों की तस्वीरें-



प्रमाण पत्र

सिलाई व कटाई आय सृजन गतिविधि के लिए स्वयं सहायता समूह फावला- III की व्यवसाय योजना ग्रामीण वन विकास समिति VFDS फावला के सामान्य सदन के समक्ष सिलाई व कटाई को अनुमोदन हेतु प्राप्त विभिन्न सदस्यों द्वारा लम्बी चर्चा और विचार विमर्श के बाद व्यवसाय योजना को स्वयं सहायता समूह में अपनाने और स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा आगे कार्यान्वयन के ये अनुमोदित किया गया

दिनांक :- _____

स्थान:- फावला

Sangrath
स्वयं सहायता समूह फावला-III
जिला शिमला, हि.प्र.
अध्यक्ष

स्वयं सहायता

प्रधान
ग्रामीण विकास समिति
फावला-III
अध्यक्ष
(ग्राम वन विकास समिति)

Chauhan
Block Forest Officer
.....
.....
कोषाध्यक्ष

(ग्राम वन विकास समिति)

Tharoch
Range Forest Officer
.....
.....
थरोच

Tharoch
अनुमोदित
डी० एम० यु० अधिकारी
वन मंडल चौपाल

